(103)

निगरानी कमांक /2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

1. **श्रीमती शबाना पति रियाज मोहम्मद कुरैशी**
   उम्र–28 वर्ष, धंधा–गृहकार्य
   निवासी –78/2, मकान नं 101, मारूती नगर
   झाबुआ हुडा स्कूल के सामने झाबुआ

..................प्रार्थी

विरूद्व

1. **मलका बी पति नियाज मोहम्मद**
   उम्र–72 वर्ष, धंधा–कुछ नही,
   निवासी– गीता नगर, रानी पैलेस चन्दन नगर, इन्दौर
   हाल निवासी–मारूती नगर, झाबुआ

2. **नौशाद पिता नियाज मोहम्मद**
   उम्र–27 वर्ष, धंधा–व्यापार
   निवासी– मारूती नगर, झाबुआ

....................प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत

प्रार्थी माननीय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग, झाबुआ द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 6/'अ'/2016–17 में दिनांक 04–09–2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर सदर निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2017/3279

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2017	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0 शर्मा एवं श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषकगण उपस्थित । आवेदक के अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया है, अतः आवेदक को कूटपरीक्षण का अवसर दिये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाये । अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि न्यायहित में आवेदक को साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण हेतु एक अवसर दिया जाये । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	